कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 127/15 तिथि–09.09.2015

राज किशोर साह बनाम अन्य (पारू)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री राम किशोर साह द्वारा दिनांक–16.06.2015 को एक परिवाद दायर किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देवरिया डाकघर के सोहासा उप डाकघर शाखा डाकपाल के द्वारा दिनांक–26.03.2012 से 23.05.2012 के बीच मनरेगा योजना में फर्जी नाम से जॉब कार्ड तथा फर्जी खाता खोलकर राशि निकासी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चाँद केवारी पंचायत में जॉब कार्ड बनवाकर सोहासा उप डाकघर में फर्जी खाता खोलकर मजदूरों के मजदूरी की राशि का चेक जमाकर जालसाजी कर राशि निकाल कर मजदूरों का भुगतान नहीं कर सभी पैसे गबन कर दिए है। विदित हो कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का कुल 1,42,000.00 (एक लाख बयालिस हजार) रू0 का चेक चाँद केवारी पंचायत के मुखिया श्री बिनोद साह एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा जमा किया गया जिस राशि को मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक एवं उप डाकपाल द्वारा षड्यंत्र रचकर सभी मनरेगा मजदूरों से जाली हस्ताक्षर कराकर सभी अभियुक्त मिलकर मजदूरों को पैसे का भुगतान न कर गबन कर लिया। यह कि इस आवेदन के साथ इस योजना में शामिल पाँच मजदूरों (बिनोद राय, संजय कुमार, महेश राय, राम अयोध्या साह, सुरेश राय एवं महेश साह) ने अपना–अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है।

मा0 मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक चाँदकेवारी, पारू एवं उप डाकपाल, सोहासा, पारू को नोटिस की गयी। इसके जवाब में श्री विजेन्द्र कुमार, शाखा उप डाकपाल, सोहासा, पारू, मुज0 द्वारा दिनांक 13.07.2015 को एक आवदेन दिया गया जिसमें आवेदक राम किशोर साह एवं अन्य द्वारा परिवाद श्रीमान् के समक्ष दाखिल किया गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि उप डाकपाल, सोहासा द्वारा खाता खोल कर मनरेगा का पैसा का भुगतान नहीं किये है एवं पासबुक एवं जॉब कार्ड डाकपाल द्वारा रख लिए जिसके संबंध में कहना है कि उपरोक्त परिवाद पत्र के नामित मजदूरों का खाता पंचायत रोजगार सेवक के सत्यापन के बाद खाता खोला गया है जो सही है कि खाताधारियों का हस्ताक्षर नमूना डाकघर के अभिलेख में मौजूद है जिसे मिलान कर सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।

पंचायत रोजगार सेवक के उपस्थिति में उनके पहचान पर सुरेश राय, खाता नं0–8818594 दिनांक–05.09.2015 को 5000/–रू0 और दिनांक–13.09.2012 को 5000/–रू0 और दिनांक–05.10.2012 को 2816/–रू0, दिनेश राय, खाता नं0–8818593, दिनांक–05.09.2012 को 5000/–रू0 और 05.10.2015 को 1480/–रू0, संजय साह, खाता नं0–8818597, दिनांक–05.09.2012 को 5000/–रू0 और दिनांक–05.10.2012 को 1670/–रू0, राजकिशोर साह, खाता नं0–8818592, दिनांक–05.09.2012 को 5000/–रू0 और दिनांक–13.09.2013 को 5000/–रू0 और दिनांक–05.10.2012 को 2816/–रू0, महेश राय, खाता नं0–8818591, दिनांक–05.09.2012 को 5000/–रू0 और 13.09.2012 को 5000/–रू0 और 05.10.2012 को 2816/–रू0, रामअयोध्या साह, खाता नं0–8818598, दिनांक–05.09.2012 को 5000/–रू0 और दिनांक–05.10.2012 को 1580/–रू0 भुगतान दिया गया और पासबुक एवं जॉब कार्ड खाताधारी अपने साथ ले गए।

आवेदक श्री साह जो पूर्व से हम पर दबाव बना रहे थे कि सारे मजदूरों का हस्ताक्षर/निशान लेकर पैसा का भुगतान मुझे कर दे जिसके लिए मैं तैयार नहीं हुआ और बोला कि मैं नियमानुसार काम करूँगा और पंचायत रोजगार सेवक के उपस्थिति में सही खाताधारी को रूपये का भुगतान कर दिया। शाखा डाकघर, सोहासा, भाया–देवरिया में उप डाकपाल के पद पर पदस्थापित है, यहाँ से मेरा घर 10 कि0मी0 की दूरी पर है। परिवादी के शर्त पर मैं दूसरे के खाता का पैसा परिवादी को नहीं दिए जिस कारण मुझ पर गलत आरोप लगा कर श्रीमान् के यहाँ मनगढ़ंत कहानी रचकर आवेदन दिया है जो बिलकुल ही गलत हैं एवं परिवाद पत्र में नामित मजदूरों को जो भुगतान किया गया है उसका सारा अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है।

सभी पाँचों मजदूरों ने अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख अपना हस्ताक्षर एवं अंगूठा का निशान देते हुए बयान दिया है जो निम्न है :–

01 आवेदन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में समझदारी की कमी के कारण डाकघर में पास बुक नहीं लिखने की बात लिखा

02 सत्य यह है कि दिनांक–26.03.2012 से 23.05.2012 कार्यावधि के बीच श्री विजेन्द्र साह डाकपाल पास बुक खोलने हेतु दो–तीन सदा फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए एवं जॉब कार्ड हमलोगों से लिए थे। आज तक जॉब कार्ड पासबुक या कोई राशि हम गरीब मजदूरों को प्राप्त नहीं हुआ।

03 दिनांक–12.07.2015 रविवार को श्री विजेन्द्र साह डाकपाल हम पाँचों मजदूरों से घर पर मिले और बोले कि प्रति मजदूर पाँच सौ रूपये ले लो एवं मुजफ्फरपुर चलकर लोकपाल महोदय को बता दो कि मजदूरी संबंधित राशि प्राप्त हो गया है।

मा0 मुखिया विनोद साह द्वारा दिनांक–14.07.2015 को एक आवेदन दिया गया उसमें परिवादी राज किशोर साह को बिल्कूल असत्य बताते हुए उन्होंने यह कहा है कि श्रीमान् के यहाँ परिवाद दाखिल कर आरोप लगाए है वह बिलकुल असत्य निराधार और सत्य से परे है और परिवाद पत्र के नामित सभी मजदूरों को पंचायत रोजगार सेवक के देख–रेख में उप डाकपाल, सोहासा, भाया–देवरिया में खाता खोला गया है उनमें 1 लाख 42 हजार रूपया का चेक नामित मजदूरों के मजदूरी भुगतान के लिए जमा किया गया या उनका भुगतान मजदूरों के द्वारा किया गया।

जैसा की मुझे जानकारी हुआ कि मजदूरों का भुगतान राज किशोर साह अपने हाथ में लेना चाहते थे जिस कारण रोजगार सेवक और शाखा डाकपाल द्वारा भुगतान न कर मजदूरों को भुगतान दिया गया जिस रंजिश से राज किशोर साह द्वारा मजदूरों को बरगलाकर श्रीमान् के यहाँ परिवाद पत्र दाखिल कराया गया है।

परिवादी द्वारा दिनांक–26.08.2015 को एक आवेदन दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि देवरिया डाकघर के अंतर्गत सोहासा उप डाकघर, शाखा डाकपाल द्वारा दिनांक–26.03.2012 से 23.05.2012 के बीच मनरेगा योजना में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का वह सूचक है। इसमें उठाए गए विवाद का आवश्यक जाँचोपरान्त संबंधित अधिकारी द्वारा सभी मजदूरों को उचित भुगतान कर दिया गया है। अब इस विषय पर किसी भी मजदूर का कोई विवाद नहीं रह गया है। अतः इस पर अग्रेतर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। आग्रह है कि अग्रेतर कार्रवाई बन्द करने की कृपा की जाए।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या श्री राज किशोर साह द्वारा मनरेगा अंतर्गत काम किया गया था और क्या उसे भुगतान हो गया है?

–: निष्कर्ष :–

परिवादी श्री राज किशोर साह द्वारा बताया गया कि उसका लंबित भुगतान प्राप्त हो चुका है और वह आगे वाद नहीं चलाना चाहता है। तदुनुसार वाद को खारिज किया जाता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह/०

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक : 107 / मुज0,दिनांक– 09 / 09/2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राम
09.9.15
लोकपाल (मनरेगा),